कार्यालय, चास नगर निगम
चास (बोकारो)
स्वीकृति पत्र

सेवा में ,

श्री विपिन कुमार ठाकुर एवं अन्य
जोधाडीह मोड़ वार्ड सं– 06,
चास, बोकारो।

विषय :– मौजा– भवानीपुर 52 के खाता नं0 13 प्लॉट नं0 873 रकवा – 35.50 डीसमील पर आवासीय भवन नियमितिकरण शुल्क लेकर नियमितिकरण की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन दिनांक – 25-01-2021 गृह प्लॉन केश नं0 बी0 डी0 540/10–11

महाशय,

आपके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में **Saf No. – 596912290820012853** जोधाडीह मोड़, वार्ड सं– 06, चास निर्मित भवन **B+G+4** ऊँचाई **14.25 m** आवासीय/व्यवसायिक भवन का विनियमितिकरण निम्न शर्तो पर की जाती हैं :–

1. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं समर्पित दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाए जाने पर नियमितिकरण रदद् करते हुए नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
2. भवन नियमितिकरण से किसी प्रकार के अधिकार स्वामित्व या अन्य लाभ स्थापित नहीं होगा।
3. वर्षा जल संचयन की व्यवस्था सुचारू रूप से स्थापित कर इस कार्यालय से जाँच करा लेगें।
4. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माणकार्य एवं संरचना के सही रूपांकण अद्यतन भारतीय मानकों **(Indian Standard)** के साथ–साथ भूकम्प रोधी मानक के आधार पर किया जाय। निर्माण कार्य संरचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता पर होगा।
5. नियमितिकरण से उक्त निर्माण से संबंधित किसी भी दिवानी या फौजधारी मुकदमों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाकर तथा गलत जानकारी देकर नियमित कराये गए आदेश को वापस ले लिया जाएगा एवं इसके लिए जमा कराया गया शुल्क जब्त कर लिया जायेगा तथा संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के उपर झारखण्ड अधिनियम 2011 संख्या 04/2012 की धारा 11 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
7. भवन की संरचना के स्थिरता के मामले में प्रमाण–पत्र देने वाले अनुज्ञप्ति धारक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगे।
8. मानक के अनुसार विधुततारित चालक की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी होगी।
9. इस नियमितिकरण के उपरान्त भवन में किसी प्रकार के निर्माण करने के उपरान्त या उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं करने पर नियमितिकरण रद्द करने का अधिकार चास नगर निगम को होगा।
10. भवन प्लान की स्वीकृति से प्रशनगत भूमि आवेदक का स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/सी0एन0टी0 खाता की भूमि/किसी अन्य की टाइटिल वाली भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जायेगा, अगर ऐसा होता हैं तो भवन प्लान रदद् माना जाएगा।
11. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने पर बिल्डिंग परमिट को रद्द करने का अधिकार चास नगर निगम को होगा।

परियोजना अभियंता
चास नगर निगम।

SRI HARI CONSTRUCTION
Partner

अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम।